न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज.
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

प्रा.पत्र संख्या :– 49/2020

मांगीदास पिता स्व. बालूदास जी जाति बेरागी ब्राम्हण निवासी डेकडीखेडा तह. बेगूँ
प्रार्थी

बनाम

1– भंवरदास पिता रामचन्द्रदास जाति बैरागी निवासी डेकडीखेडा तह. बेगूँ
2– लादुदास पिता स्व. रामचन्द्रदास जाति बैरागी निवासी डेकडीखेडा तह. बेगूँ
विपक्षीगण

उपस्थित ::– श्री मोहम्मद रफीक खान
अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश दिनांक :– 02.05.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज0काश्त0अधि0

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री खान द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन प्रार्थना पत्र में इस प्रकार से किया कि प्रार्थी व विपक्षीगण के बाप दादा की पुश्तैनी कृषि आराजीयात जिसका बटवाडा होकर प्रार्थी के खातेदारी और कब्जे काश्त की आराजी मौजा डेकडीखेडा में स्थित होकर जिसके खाता संख्या 81 होकर आराजी नं. 470 कुल रकबा 0.4200 हैक्टर है जो विपक्षीगण की बटवाडे में हक हिस्से में आई खातेदारी की आराजीयात के पास स्थित होकर पुश्तैनी रास्ता विपक्षीगण की खातेदारी की आराजी जिसके खाता संख्या 51 की आराजी संख्या 469मी रकबा 0.27 हैक्टर तथा 730/469 रकबा 0.26 हैक्टर की मेड पाली पर होकर पास ही स्थित खाता संख्या 81 की आराजी नम्बर 470 रकबा 0.4200 हैक्टर प्रार्थी की आराजी तक स्थित होकर जाता है।

यह कि प्रार्थी ग्राम डेकडीखेडा के स्थाई निवासी होकर इनके अपनी उक्त आराजी पर आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता परम्परागत पीढियों का विपक्षीगण की आराजी जिसके आराजी नं. 469 मी, 730/469 पर जो बटवाडे में विपक्षीगण के हक हिस्से में आई हुई है जिससे लगता हुआ खाता सं. 81 की आराजी नं. 470 मे प्रार्थी के हक हिस्से की खातेदारी पर जाता है।

यह कि प्रार्थी के उक्त रास्ते को जो विपक्षीगण की आराजी 469मी, 730/469 से लगी हुई आराजी नं. 470 में प्रार्थी की खातेदारी आराजी में जाता है पर अनाधिकृत रूप से जबरन ताकत के बल से अतिक्रमण कर बंद करने की गरज से उक्त रास्ते प्रारम्भ में विपक्षीगण के मन में बदनियती आ जाने से प्रार्थी को महज परेशान करने की नियत से उक्त परंम्परागत रास्ते को अपने खते में मिलाने की गरज से कच्चे फुट के पत्थरों से कोट बनाकर (चुनकर) बंद कर दिया है जिसका विपक्षीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

यह कि प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण से रास्ता अवरूद्ध करने बाबत पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाव नहीं दिया और लडाई झगडा करने पर आमादा हुए, धमकीयॉ दी कि उक्त रास्ते निकलोगें तो हाथ पांव तोड देगें और जेल में सडा देगें। इस प्रकार विपक्षी ने बिना किसी अधिकार किसी अधिकार के आराजी सं. 469मी. 730/469 पर होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात में रास्ता पहुचता है, को पत्थरो की कोट चुनकर अवरूद्ध कर दिया है जिससे प्रार्थी को अपने खेतो पर जाने आने व कृषि उपयोग उपभोग के यंत्र आदि लाने ले जाने , पशुओं के लिए चारा ,घास फसल आदि को खेत से बाहर निकालने में काफी परेशानी का सामना करना पडा रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की उक्त आराजीयात पर जाने आने के पुश्तैनी रास्ता जो लगभग 12 फिट चोडा है को खुलवाया जाकर पूर्वानुसार कायत किया जाकर तरमीम किया जाना न्यायहित में अत्यन्त ही आवश्यक होकर न्यायोचित होगा। यदि उक्त रास्ते को कायम नहीं किया गया तो प्रार्थी को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूति किसी भी रूप में किया जाना संभव नहीं है। उक्त रास्ता रेकार्ड में कायम (तरमीम) करने मे यदि कोई आर्थित व्यय लगता है तो प्रार्थी नियमानुसार भुगतान करने को तैयार है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण की खातेदारी की आराजीयात खाता संख्या 51 मौजा डेकडीखेउा में स्थित है कि जिसके आराजी संख्या 469मी, 730/469 से लगी हुई प्रार्थी की खाता संख्या 81 की आराजी

470 भूमि पर रास्ता पहुॅचता है का अवरोध को हटाया जाकर पुश्तैनी एक मात्र रास्ते जो लगभग 12 फिट चोडा है को पूर्ववत कायम किया जावे तथा रास्ते नक्शे रेकार्ड में कायम (तरमीम) करने का आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, इस प्रार्थना पत्र पत्रावली में विपक्षीगण स्वयं ही न्यायालय में उपस्थित आए तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा डेकडीखेडा पटवार मंडल राजगढ उप तहसील पारसोली में प्रार्थी व विपक्षी की संयुक्त खातेदारी की सामलाती कृषि आराजीयात स्थित होकर जिसके खाता संख्या 51 में अंकित आराजी संख्या 469, 570, 571, 572, 573 कुल किता 5 रकबा 1.7600 हैक्टर भुमि राजस्व रेकार्ड पर संयुक्त खातेदारी से दर्ज होकर प्रार्थी मांगीदास पिता बालुदास बैरागी निवासी डेकडीखेडा ने इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज.टी.एक्ट का न्यायालय श्रीमान मे पेश किया। जिसमें हम विपक्षी के द्वारा 730/469 जो बाद बंटवाडा के हम विपक्षी के हिस्से में आई है जिससे होकर प्रार्थी की आराजी संख्या आराजी संख्या 470 पर आता है यह सही है लेकिन हमारे द्वारा उक्त रास्ता को बंद नहीं किया है, वरन प्रार्थी के द्वारा जो रास्ता बंद करना बताया जा रहा है वहा पूर्व में लोहे की फाटक लगी हुई थी जिसको अज्ञात चोरो द्वारा चुराकर ले गये थे मवेशियान हम विपक्षीगण की आराजी में घुस कर फसल को नुकसान नहीं पहुचावें इसलिए वहॉ पर फाटक नहीं लगने तक पत्थरो की आड की थी जिसको प्रार्थी द्वारा रास्ता बंद करना बताया जा रहा है।

यह कि प्रार्थी की आराजी संख्या 470 के सहारे सहारे हम विपक्षीगण की आराजी संख्या 445, 454 किता2 रकबा 0.2250 हैक्टर आराजी पर रास्ता जाता है जिसको प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजी को हांक दी व रास्ता को अवरूद्ध कर दिया है प्रार्थी ने हम विपक्षीगण को जलील व परेशान करने की गरज से यह झूठा मन गढन्त तथ्यों पर यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि विपक्षीगण का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे एवं प्रार्थी द्वारा हम विपक्षीगण की आराजी संख्या 445, 454 पर आने जाने का रास्ता जो प्रार्थी की आराजी संख्या 470 से होकर जाता है जिसको खुलाया जाकर नक्शा में तरमीम किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

पत्रावली में विपक्षीगण द्वारा न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हमारे द्वारा विपक्षीगण को सुना भी गया, प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि आराजी के लिए विपक्षीगण की आराजी में जो रास्ता आने जाने का बताया गया है उसके सम्बन्ध में एक रास्ता की जॉच हेतु रिपोर्ट तहसीलदार बेगूॅ से मवाई जाने हेतु न्यायालय द्वारा पत्र जरिये पत्र कमांक 4 दिनांक 5.01.2021 व कमांक405 दिनांक 6.09.2022 से तलब की गई जिसकी पालना में तहसीलदार बेगूॅ द्वारा प्रकरण में उनके पत्र कमांक 4737 दिनांक 05.014. 2023 के साथ रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक वृत राजगढ, मौका पर्चा रिपोर्ट, नक्शाट्रेस व जमाबंदीयो के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की है, एवं रास्ते के उपयोग में ली जाने वाली भूमियों की डी.एल.सी. रिपोर्ट तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा प्रस्तुत की है।

पत्रावली में रास्ते के सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त होने पर हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं विपक्षीगण की सुने जाने हेतु उन्हें तलब किया गया, न्यायालय में अधिवक्ता प्रार्थी वास्ते उपस्थित आए। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की आराजी में पहुॅचने के रास्ते को बंद कर दिया जाने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना बताते हुए ,प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा जो जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है को गलत एवं मिथ्या बताते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं रास्ते की रिपोर्ट का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, प्राप्त रिपोर्ट में बिन्दुवार तथ्य जो अंकित किये है वह निम्न प्रकार से है:–

1– प्रार्थी के आने जाने हेतु रास्ता आवश्यक है केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होना बताया है।

2– इस प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

3– प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी पर है।

प्रस्तावित रास्ता हेतु आराजी नं. 469 मे (4 गुणा 44 मीटर) यानि 176 वर्गमीटर , आराजी नं. 473 मे (4 गुणा 28 मीटर) यानि 112 वर्गमीटर , आराजी नं. 730/469 में (4 गुणा 17 मीटर) यानि 68 वर्गमीटर भूमि आती है। इस प्रकार असाराजी नम्बर 469 में 0.017 हैक्टर, 473 में 0.0112 हैक्टर एवं आराजी नं0 730/469 में 0.0068 हैक्टर भूमि आती है। संलग्न नक्शाट्रेस में भी लालस्याही से अंकन किया है।

5– रास्ते बनाने अधीन अवधारित भूमि के मूल्य के अतिरिक्त खडे वृक्ष, फसल या संरचाना के हटाने से कोई हानि नहीं होती है।

6– खसरा नं0 473 रकबा 0.050 हैक्टर किस्म गै.मु.चाह में श्री भैरूलाल पुत्र रामचन्द्र दास बैरागी एवं मदनदास पुत्र रामचन्द्रदास सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया जाना अपेक्षित है।

मौका पर्चा में भी अंकन किया है कि उपस्थित प्रतिवादीगण ने बताया कि प्रार्थी मांगीदास पिता स्व. बालूदास बैरागी ग्राम डेकडीखेडा की आराजी संख्या 470 रकबा 0.42 हैक्टर पर पहुँचने हेतु आराजी नं0 469 एवं 730/469 के दक्षिणी दिशा एवं आराजी नं. 473 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गैर मु. चाह की उत्तरी दिशा में होकर आता जाता रहा है एवं अपने खेत की जुताई करता रहा है लेकिन दोनों पक्षो में आपसी विवाद से उक्त आने जाने हेतु रास्ता बंद कर दिया गया है। प्रार्थी इसी उक्त मांग को रास्ते के रूप में दर्ज करवाना चाहता है जो नजरीनक्शा अनुसार है।

प्राप्त रिपोर्ट के साथ डी.एल.सी अनुसार राशि की गणना की रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम डेकडीखेडा प0ह0 राजगढ की आराजी संख्या 469 में 176 वर्गमीटर, आ0सं0 473 में 112 वर्गमीटर, आराजी नं. 730/469 में 68 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है। पंजीयन की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि का मूल्य

डी.एल.सी. 682527/– है0 डीएलसी का दुगुना – 682527 गुणा 2 यानि 1365054/–

ए– मुआवजा राशि आराजी नं. 469– 1365054/10000 गुणा 176 यानि 24024/–

जमाबंदी अनुसार प्रस्तावित काश्तकारों को मुआवजा राशि निम्नानुसार बनती है :–

आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
469	भंवरदास पुत्र रामचंद्रदास बैरागी	सम्पूर्ण	24030/–

ब– मुआवजा राशि (आ.नं. 473) – 1365054/10000 गुणा 112 यानि 15288 पूर्णांक 15290/– जमाबन्दी अनुसार प्रभावित काश्तकारो को मुआवजा राशि निम्नानुसार बनती है:–

आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
473	1. भेरूलाल पुत्र रामचंद्रदास	1/8	1911
473	2. भंवरदास पुत्र रामचंद्रदास	1/8	1911
473	3. मदनदास पुत्र रामचंद्रदास	1/8	1911
473	4. मांगीदास पुत्र बालुदास	1/2	7645
473	5. लादू पुत्र रामचंद्रदास	1/8	1912
		योगः–	15290/–

सी– मुआवजा राशि (आ.नं. 730/469) – 1365054/10000 गुणा 68 यानि 9282 पूर्णांक 9290/– जमाबन्दी अनुसार प्रभावित काश्तकारो को मुआवजा राशि निम्नानुसार बनती है:–

आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
730/469	1. लादूदास पुत्र रामचन्द्रदास	सम्पूर्ण	9290/–

इस प्रकार रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का मुआवजा राशि जो विपक्षीगण को प्रार्थीगण से प्राप्त की जाकर दी जानी है उसका वर्तमान डीएलसी दर से काश्तकार अनुसार अंकन प्राप्त रिपोर्ट में किया गया है, प्रार्थी मुआवजे की राशि जमा कराने पर उन्हें रास्ता दिया जाना न्यायसंगत होता है। इस प्रार्थना पत्र पत्रावली में विपक्षीगण ने अपना जवाब तो प्रस्तुत किया है किन्तु वक्त बहस वह उपस्थित नहीं आए तथा प्रस्तुत जवाब के समर्थन में कोई ठोस सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत सभी दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की आराजी में आने जान का रास्ता बंद किया हुआ है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को अपने खातेदारी की कृषि आराजीयात मौजा डेकडीखेडा प0ह0 राजगढ की आराजी संख्या 470 रकबा 0.4200 हैक्टर भूमि पर पहुँच हेतु विपक्षीगण के खातेदारी की आराजी संख्या 469 में 4 गुणा 44 मीटर यानि 176 वर्गमीटर भूमि जो कि विपक्षी भंवरदास पुत्र रामचंद्रदस बेरागी के खाते स्थित है के लिए मुआवजा राशि 24030/– जमा कराने एवं आराजी संख्या 473 मे 4 गुणा 28 मीटर यानि 112 वर्ममीटर भूमि जो कि विपक्षीगण भैरूलाल पुत्र रामचन्द्रदास बैरागी 1/8, भंवरदास पुत्र रामचंद्रदास बेरागी 1/8, मदनदास पुत्र रामचंद्रदास बैरागी 1/8, मांगीदास पुत्र बालुदास बैरागी 1/2 व लादूपुत्र रामचन्द्रदास बेरागी 1/8 हिस्से से खातेदारी में दर्ज है के लिए मुआवजा राशि 15290/– जमा कराने एवं आराजी संख्या 730/469 मे 4 गुणा 17 मीटर यानि 68 वर्गमीटर भूमि जो कि खातेदार लादूदास पुत्र रामचन्द्रदास बेरागी के खातेदारी में सम्पूर्ण दर्ज के लिए मुआवजा राशि 9290/–रूपये कुल मुआवजा राशि 48610/– रूपये तहसील कार्यालय में विपक्षीगण को भुगतान किये जाने हेतु जमा कराये जाने पर प्रार्थी कासे मौजा डेकडीखेडा प.ह. राजगढ में विपक्षीगण के खातेदारी की आराजी संख्या 469 एवं 730/469 के दक्षिणी दिश एवं आराजी संख्या 473 रकबा 0.05 हैक्टर किस्मु गैमु. चाह की उत्तरी दिशा होकर प्रार्थी की आराजी के लिए पहुच हेतु 4मीटर चौडा रास्ता सार्वजनिक रास्ते के उपयोग हेतु राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने एवं नक्शाट्रेस में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, बेगूँ प्रार्थी से उक्त मुआवजा राशि के 48610/–रूपये प्राप्त कर विपक्षीगण को मुआवजा राशि के रूप मे निर्णय में अंकित हिस्सानुसार भुगतान करें। निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जावें।

आदेश आज दिनांक 02.05.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ
दिनांक :–29-5-24

क्रमांक/सरिश्ता/2024/277

प्रार्थना पत्र संख्या 49/2020 व अनवान मांगीदास बनाम भंवरदास वगै. प्रार्थना पत्र अ. धा. 251 ए आर.टी.एक्ट में न्यायालय द्वारा किये गये आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ